बिहार सरकार
वित्त विभाग

-:: **निविदा सूचना** ::-

वित्त विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय एवं परिसरों के साफ-सफाई का कार्य कराये जाने हेतु निविदा के आधार पर श्रमिक उपलब्ध कराने के निमित्त मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है । मुहरबंद निविदा **प्रकाशन की तिथि से दिनांक-10.08.2026 के अपराह्न 5:00 बजे तक** निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जाएगा । प्राप्त निविदाओं को **दिनांक-11.08.2026 को अपराह्न 4:00 बजे** विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं । निविदा के संबंध में आवश्यक सूचनायें एवं प्रमुख शर्तें वित्त विभाग के बेवसाइट **http://state.bihar.gov.in/finance** पर उपलब्ध है । इस संबंध में संयुक्त आयुक्त (वित्तीय प्रशासन)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या-0612-2217101 पर संपर्क कर किसी बिंदु पर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

03/08/2026

(अरूण कुमार)
संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

वित्त विभाग के अन्तर्गत् विभिन्न कार्यालय/परिसर की साफ-सफाई संबंधी आवश्यक सूचना :-

1. वित्त विभाग अन्तर्गत् विभिन्न कार्यालय/परिसर के साफ-सफाई की सूचीः-

तालिका-1

क्रम सं0	भवन का नाम	कार्यालय/आवासीय कार्यालय का नाम	परिसर का प्रकार	अनुमानित सफाई कर्मी की संख्या
(i)	वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना ।	भूतल से चार तल्ला भवन सम्पूर्ण	कार्यालय	10
(ii)	एनेक्सी भवन, पुराना सचिवालय, पटना ।	भूतल पर दावा कोषांग कार्यालय एवं अन्य वित्त विभागीय प्रशाखा/कार्यालय सम्पूर्ण	कार्यालय	10
(iii)	माननीय वित्त मंत्री का आवासीय कार्यालय	माननीय वित्त मंत्री के आवासीय कार्यालय, पटना	आवसीय	10
(iv)	ट्रांजिट हॉस्टल	एसी०/डीसी० कार्यालय, वित्त विभाग	कार्यालय	01
(v)	चालक विश्राम गृह	चालक विश्राम गृह	कार्यालय	01
			कुल	**32**

उपर्युक्त साफ-सफाई कर्मियो की संख्या संभावित है । इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

*निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:- दिनांक-.**10.08.2026** के **5:00** बजे शाम तक ।*

*निविदा खुलने की तिथि :- दिनांक-**11.08.2026** के **4:00** बजे शाम को ।*

2. निविदा की प्रमुख शर्तेः-

(i) निविदादाता को केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि में काम करने का कम से कम तीन वर्षों का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा ।

(ii) साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान को भारतीय श्रम अधिनियम के तहत Bihar Shops and Establishment Act के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य होगा ।

(iii) साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य होगा ।

(iv) एजेंसी/संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assesment Year 2025-26) का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।

(v) साफ-सफाई का दर प्रति सफाई कर्मी प्रतिमाह (सभी सफाई सामग्री एवं उपकरण सहित) के आधार पर मान्य होगा । (Annexture-Aके Format में) तथा लागू दर पर GST की राशि अलग से विभाग द्वारा एजेंसी को भुगतान की जायेगी ।

(vi) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा झाडू, खस एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।

(vii) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित कार्यालय से साफ-सफाई कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा इसके उपरांत भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा ।

(viii) चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान सत्यापित करा कर संयुक्त आयुक्त (वित्तीय प्रशासन)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पास जमा करना होगा ।

(ix) सफाई करने का दर एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा । वित्त विभाग चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है । कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में वित्त विभाग संविदा को समाप्त कर सकती है ।

(x) यदि चयनित एजेंसी के साफ-सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी । यदि हजनि की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है, तो वैसी स्थिति में वित्त विभाग चयनित एजेंसी के विरूद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हजनि के राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी ।

(xi) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xii) निविदा के साथ निम्न कागजात की स्व-हस्ताक्षरित प्रति निम्न क्रमानुसार संलग्न करना अनिवार्य है :-

क. Earnest Money Deposit के रूप में **रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र** का बैंक ड्राफ्ट जो "Joint Commissioner (F.A.), Finance Department" के पक्ष में Payable होना चाहिए ।

ख. PAN कार्ड का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

ग. GST निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

घ. किसी भी राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का Notarised शपथ-पत्र ।

ड़. EPFO में Registration Certificate का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

च. ESIC में Employer का Registration Certificate (C-11) की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

छ . GST के अंतर्गत मार्च 2026 माह के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

(xiii) चयनित निविदादाता को कार्य आवंटन के पश्चात ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 के अन्तर्गत, यदि लागू हो तो , लाईसेंस प्राप्त कर विभाग में जमा करना होगा ।

(xiv) चयनित निविदादाता द्वारा जिन जिन मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उन मजदूरों को EPFO कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में निबंधित करवा कर निबंधन का साक्ष्य वित्त विभाग में जमा करना होगा ।

(xv) चयनित निविदादाता प्रत्येक महीने मजदूरों का EPFO Contribution एवं ESIC Contribution संबंधित कार्यालय में जमा कर चालान की प्रति प्रत्येक महीने विभाग में जमा करेंगे एवं इस संबंध में संवेदक द्वारा मजदूरों के हित के प्रतिकूल कार्य करते हुए पाये जाने पर संवेदक को काली सूची में दर्ज करने एवं भविष्य में कहीं भी निविदा दाखिल करने से वंचित किया जा सकता है ।

(xvi) सभी पृष्ठों पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिये ।

(xvii) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में सील करके दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः **"तकनीकी निविदाः वित्त विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय/परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु"** एवं **"वित्तीय निविदाः वित्त विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय/परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये एवं इन दो अलग-अलग लिफाफा को एक बड़े लिफाफा के अंदर डालकर उसे सील करके उसके ऊपर **"निविदाः वित्त विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय/परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये ।

<u>कार्य का स्वरूप</u>

(1) एजेन्सी द्वारा भवन के भूतल एवं चारों तल के भीतरी एवं बाहरी कैंपस का पूर्ण रूप से Cleaning, Dusting, Mopping इत्यादि का कार्य करना पड़ेगा । इसके अंतर्गत सभी कमरे, बरामदा, सीढ़ी, स्नानघर, शौचालय, छत, पानी का टंकी, गाड़ी पार्किंग स्थल, कैंपस के अंतर्गत नाला, कैंपस स्थित गार्डेन में पानी डालना एवं परिसर के संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करना ।

(2) एजेन्सी के सफाई कर्मी द्वारा परिसर स्थित किसी भी तरह के स्थायी Structure, Fittings, Furniture, Apparatus, Tiles, Pipes, Electrical Fittings का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा । किसी भी तरह का नुकसान प्रतिवेदित किये जाने पर उसके मरम्मति/बदलने का कुल खर्च एजेन्सी से वसूला जायेगा ।

(3) विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरणी निम्नवत है:-

क्रम संख्या	स्थान	परिसर	अंतराल (कितने दिनों पर करना है)
1.	कमरों की सफाई	कार्यालय	दिन में एक बार
2.	बरामदा	कार्यालय	दिन में एक बार
3.	स्नानघर	कार्यालय	दिन में एक बार
4.	सीढ़ी	कार्यालय	दिन में एक बार
5.	शौचालय/यूरीनल	कार्यालय	कार्यालय में प्रत्येक घंटे
6.	कैंपस का एरिया	कार्यालय	दिन में एक बार
7.	ऊपर का खुला छत	कार्यालय	महीने में एक बार
8.	पानी का टंकी	कार्यालय	महीने में एक बार
9.	परिसर स्थित नाला की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
10.	खिड़की का काँच एवं मकड़ी के जाले की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
11.	गाड़ी पार्किंग स्थल	कार्यालय	प्रत्येक दिन
12.	गार्डेन में पानी डालना	कार्यालय	प्रत्येक दिन
13.	बरसात के कारण जलजमाव की स्थिति में	कार्यालय	आवश्यकता पड़ने पर अविलंब पानी निकालना
14.	जानवरों का गोबर अथवा मृत शरीर	कार्यालय	तुरंत फेकना
15.	मरा हुआ चूहा	कार्यालय	तुरंत खोजकर फेकना
16.	कार्यालय में टेबल, टेबल का ग्लास, कुर्सी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
17.	खिड़की, दरवाजा, फर्श विभिन्न कोनों में जमे धूल, मकरी का जाल, अन्य स्थानों पर जमे गंदगी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
18.	दीवाल/भवन में अनावश्यक रूप में उगे हुए पौधेां को हटाना	कार्यालय	महीने में एक बार

(4) प्रत्येक सफाई कर्मी का कार्य अवधि सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा एवं सफाई कर्मी को इस अवधि में कार्य स्थल पर उपस्थित रहना पड़ेगा ।

(5) प्रत्येक सफाई कर्मी स्वच्छ कपड़े में रहेंगे एवं स्वच्छता का हमेशा ख्याल रखेंगे ।

(6) समस्त सफाई सामग्री यथा, झाड़ू, फर्श/दीवार एवं अन्य जगहों को पोछने का कपड़ा, खास फिनाईल/लाइजोल/कॉलिंस इत्यादि एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर सफाई एजेंसी द्वारा प्रदान किये जाएंगे एवं इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(7) समस्त सफाई सामग्री एवं मशीनरी अच्छे गुणवत्ता के होने चाहिये ।

(8) समस्त कचरा को नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर सफाई कर्मी प्रतिदिन फेकेंगे ।

(9) यूरिनल में नेफ्थालिन बॉल एवं दुर्गंध भगाने वाला ऑडोनिल, यूरिनल एवं शौचालय में हमेशा रहना चाहिए ।

(10) परिसर में लगाये गये मधुमक्खी का छत्ता को हटाने की व्यवस्था करना ।

(11) एजेन्सी द्वारा सिर्फ प्रशिक्षित एवं वयस्क श्रमिक को ही सफाई के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा । बाल श्रमिक को कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने पर एकरारनामा रद्द हो जायेगा ।

(12) एजेन्सी द्वारा किसी तरह के अपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को सफाई कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(13) प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा एजेन्सी द्वारा रखा जायेगा ।

(14) एजेन्सी द्वारा सभी कर्मियों को ड्रैस एवं पहचान-पत्र दिया जायेगा, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित रहना चाहिए ।

(15) एजेन्सी द्वारा साफ-सफाई के कार्य के निगरानी हेतु एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जायेगा ।

(16) आवासीय परिसर की सफाई सप्ताह के सातो दिन की जायेगी, जबकि कार्यालय परिसर की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस को किया जायेगा । यदि छुट्टी के दिनों में कार्यालय खुला रहे तो उस दिन भी कार्यालय में सफाई का कार्य करना एजेन्सी सुनिश्चित करेंगे एवं इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(17) अपातकालीन स्थिति में किसी भी समय साफ-सफाई हेतु बुलाया जा सकता है ।

(18) तालिका-1 में दर्शाये गये परिसरों एवं सफाई कर्मियों की सूची/संख्या Tentative है । परिसरों की संख्या एवं सफाई कर्मियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है ।

(19) एजेन्सी को वास्तविक रूप में कार्य कर रहे सफाई कर्मी की संख्या के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।

(20) एजेन्सी प्रति सफाई कर्मी प्रति महीना (26 दिन, सभी सफाई सामग्री सहित) की दर पर कार्य करेंगे ।

(21) किसी भी दिन सफाई नहीं किये जाने पर उस दिन के लिए अनुपातिक ढ़ंग से एक दिन के लिए दर की गणना कर उसका 1.25 गुना राशि की कटौती पूरे महीने के लिए निर्धारित दर से की जायेगी ।

(22) एजेन्सी द्वारा अपने कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2026 को जारी प्रेष विज्ञप्ति में उल्लेखित अधिसूचना संख्या-5/एम०डब्ल्यू०-40-16/2021 श्र०सं०-46 दिनांक-01.04.2026 में अकुशल मजदूरों के लिये घोषित **न्यूनतम मजदूरी 436/-रूपया प्रति दिन** का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा । जिसमें समय-समय पर होने वाले परिर्वतन के आलोक में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।

(23) सभी निविदादाताओं से अनुरोध है कि महीने के सभी दिनों के लिए साफ-सफाई हेतु प्रति मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी, साफ-सफाई इत्यादि पर होने वाले खर्च, अन्य आपत्ति खर्च एवं अन्य सभी तरह के खर्च, EPFO, ESIC Contribution की राशि की पूर्ण गणना करके पूरे

जो **Without GST Rate** होगा । दर्ज Monthly Rate पर लागू दर पर **GST** की राशि का भुगतान विभाग द्वारा अलग से किया जायेगा । सारी गणना सोच-समझकर करने के उपरांत ही निविदा डालेंगे, क्योंकि निविदा डालने के उपरांत न्यूनतम बोली वाले निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में EMD की राशि जब्त हो जायेगी एवं इन्हें भविष्य के लिए निविदा डालने से वंचित करते हुए काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(24) वित्त विभागीय पत्रांक-2988 दिनांक-23.03.2026 के कंडिका-04 में स्पष्ट उल्लेखित है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्युनतम 3.85% तथा अधिकतम 7% होनी चाहिए ।

उदाहरण स्वरूप आपके द्वारा निम्न तरह से एक कर्मी हेतु Cost की गणना की जा सकती है (निम्न गणना सांकेतिक है) ।

मजदूरी की मासिक दर (26 दिन x 436 रूपया)	= 11,336/- रूपया** *(कृपया नीचे देखें)*
EPFO की वर्तमान लागू दर की राशि	= .... रूपया
ESIC की वर्तमान लागू दर की राशि	= .... रूपया
साफ-सफाई का अनुमानित मूल्य	= .... रूपया
एजेन्सी का अपना Profit Margin	= .... रूपया
कुल राशि (Without GST)	= .... रूपया

बिना सोचे समझे साफ-सफाई का कार्य प्राप्त करने हेतु अनाप-शनाप या बहुत कम दर पर वित्तीय निविदा में Quote करने पर भविष्य में निविदा डालने से वंचित किया जा सकता है।

एजेन्सी EPFO, ESIC, Profit, Margin एवं साफ-सफाई का अनुमानित मूल्य की सही-सही गणना अंकित करेंगे ।

(1. समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी का Revision होता है, उसी के अनुसार एजेन्सी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करेंगे ।

2. EPFO/ESIC/अन्य अनिवार्य राशि संबंधित विभाग में जमा करने का पूर्ण दायित्व साफ-सफाई एजेन्सी का रहेगा ।)

****

Annexure-A

(वित्तीय निविदा का प्रारूप)

सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम......................................

पूर्ण पता-...

दूरभाष संख्या-...

PAN संख्या-....................   GST संख्या-....................

सफाई का दर

मजदूरी की मासिक दर (26 दिन X 436 रूपया)	= 11,336/- रूपया
EPFO की वर्तमान लागू दर की राशि	= .... रूपया
ESIC की वर्तमान लागू दर की राशि	= .... रूपया
साफ-सफाई का अनुमानित मूल्य	= .... रूपया
एजेन्सी का अपना Profit Margin	= .... रूपया
कुल राशि (Without GST)	= .... रूपया

अंक में ....

शब्द में ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

....